

मांग संख्या 31
मुख्य शीर्ष 3451

मद क्रमांक 1

राज्य योजना आयोग में परामर्शदात्री सेवाओं के लिए ₹ 10.00 करोड़ का प्रावधान अपरीक्षित नवीन मद के रूप में किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।